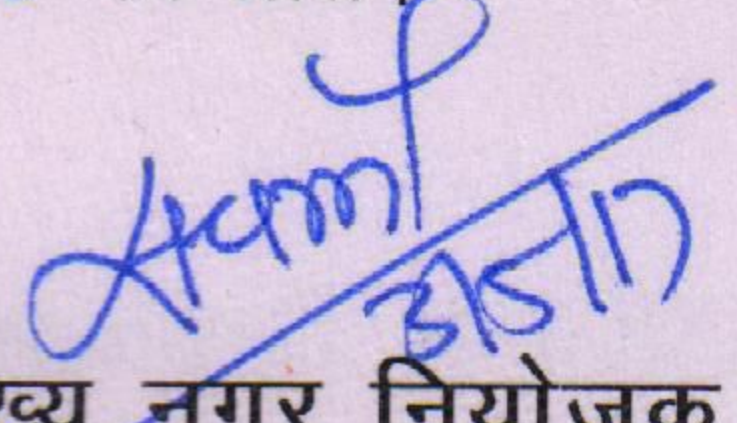


39. अफोडेबल हाउसिंग के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : एक सेट स्वीकृत मानचित्र एवं शासन द्वारा अनुमोदित डी०पी०आर० की प्रति।


मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड, आ०वि०प्रा०, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा